11.11.24

पत्रावली आज पेशी में पेशी में ली गई। बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया व अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अंकित किया है कि दावा में वर्णित आराजी पैतृक है जिसमें वादीगण का एक चौथाई हिस्सा है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के हिस्से तक स्थगन प्रभावी रहे, पर एतराज जाहिर नहीं किया है, शेष भूमि पर स्थगन जारी होने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। अतः सारभूत तीन बिंदुओं यथा प्रथम-दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए आदेश है कि चक 11 KSP खाता सं. 15/8 तादादी 0.903 है. व चक 10 KSP खाता सं. 15/11 तादादी 1.265 है. में 1/4 हिस्से की हद तक अस्थाई व्यादेश ता-फैसला वाद के CONFIRM किया जाता है व शेष हिस्से पर जारी स्थगन को निरस्त किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे व नत्थी मूल वाद को ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़